न्यायालय जिला कलक्टर (मध्यस्थता अधिकारी) बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 90/प्रा.पत्र/2022	17.08.2022	18.02.2025
(GCMS No. 2022/165)		

1. रामदयाल आ. धन्नालाल जाति मीणा,
   निवासी ग्राम कोटाखुर्द, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. रामलक्ष्मण आ. धन्नालाल जाति मीणा,
   निवासी ग्राम कोटाखुर्द, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. रामचन्द्र आ. धन्नालाल जाति मीणा,
   निवासी ग्राम कोटाखुर्द, तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जर्ये परियोजना निदेशक,
   परियोजना कियान्वयन इकाई, सवाई माधोपुर मकान नं.12
   श्यामसरोवर पटेल नगर, आलनपुर सवाई माधोपुर (राज.)
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी
3. नायब तहसीलदार लाखेरी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम बाबत

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से श्री श्यामदत्त दाधीच एडवोकेट
अप्रार्थी सं.1 की ओर से श्री दीपक शर्मा, श्री अमर सिंह राठौड़ एड0
अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री पेरोकार सरकार।

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी द्वारा बून्दी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 एन के निर्माण हेतु अवाप्त भूमि ग्राम लबान, तहसील इन्द्रगढ की आराजी खसरा सं. 1258, 1259, 1260, 1264, 1265 कुल किता 5 कुल रकबा 2.67 हैक्टेयर

जिला कलक्टर, बून्दी

बाबत पारित अवार्ड से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उक्त अवार्ड को निरस्त किया जाकर प्रार्थी की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि बढाई जाकर संशोधित अवार्ड राशि जारी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 25.03.2022 को पेश प्रार्थना पत्र इस कार्यालय की राजस्व शाखा में संधारित किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण जरिये नोटिस आहूत किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी सं.1 की ओर से दिनांक 06.06.2022 को जवाब पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार इन्द्रगढ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तत्पश्चात पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई। पत्रावली प्राप्त होने पर न्यायालय की दायरा पंजिका क्रमांक 90/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2022/165 ऑनलाईन इन्द्राज किया जाकर बहस हेतु उभयपक्ष को आगामी पेशी दी गई।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी सं.1 लगायत 3 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त व स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 1258, 1259, 1260, 1264, 1265 कुल किता 5 कुल रकबा 2.67 हैक्टेयर वाकेग्राम लबान में स्थित है। प्रार्थीगण के 1 लगायत 3 के पिता स्व. धन्नालाल का स्वर्गवास दिनांक 06.11.2021 को हो चुका है, उक्त श्री धन्नालाल द्वारा अपना हिस्सा 1/3 प्रार्थी सं.3 रामचन्द्र के नाम वसीयत हो चुका है। जिसमें प्रार्थीगण 1 लगायत 3 के मध्य कोई विरोधाभास नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग (भारतमाला परियोजना) सं. 148 एन दिल्ली से बडोदरा के निर्माण हेतु अवाप्तशुदा कृषि भूमि खसरा सं. 1258, 1259, 1260, 1264, 1265 कुल किता 5 कुल रकबा 2.67 हैक्टेयर की मुआवजा राशि का भुगतान प्रार्थीगण ने प्राप्त कर लिया है। प्रार्थीगण द्वारा मुआवजा राशि बढाये जाने के लिए उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र पेश किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र मध्यस्थता इस न्यायालय को प्रस्तुत किया है।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि लालसोट–कोटा मेगा हाईवे रोड डामरीकृत सडक से लगवा स्थित है, जो नहरी भूमि होने से 02 फसली एवं अधिक उपजाऊ भूमि है। इसलिए उक्त भूमि का 4 करोड रूपये के लगभग मुआवजा बनता है, जबकि प्रार्थीगण को कम मुआवजा दिया गया है। ऐसे में अवाप्तशुदा कृषि भूमि की मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाकर शेष भूमि का मुआवजा तथा भूमि अर्जन अधिनियम,2013 के अन्तर्गत मुआवजा राशि के अलावा अन्य परिलाभ जो उचित हो, वे दिलवाया जावे।

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं.148 एन दिल्ली–बडोदरा के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण करने बाबत राष्ट्रीय राजमार्ग अधि की धारा 3(क)(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के विरूद्ध उसभूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा धारा 3–ए के नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांक 05.09.2018 के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियां सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाकर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई। केन्द्र सरकार द्वारा धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 04.2.2019 जारी की गयी। सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3–ए,बी,सी,डी,ई,(जी) में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के डीएलसी के आधार पर मूल्यांकन कराकर मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि निर्धारित की गयी।

अभिभाषक अप्रार्थी सं.1 द्वारा बहस के दौरान आगे कथन किया कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि खसरा सं. 1259 रकबा 0.0665 हैक्टेयर एवं ख.सं. 1264 रकबा 1.2220 हैक्टेयर, जो डामरीकृत सड़क व आबादी से 100 मीटर की परिधि में स्थित है, जिसके संबंध में उप पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर सिंचित भूमि की दिनांक 05.09.2018 की डीएलसी दर प्रति हैक्टेयर 25,44,304/– रूपये के अनुसार राशि की गणना की गई है तथा प्रार्थी की भूमि ख.सं. 1258 रकबा 0.1334 हैक्टेयर, ख.सं.1265 रकबा 0.3300 हैक्टेयर जो डामरीकृत सड़क व आबादी से 101 से 500 मीटर की परिधि में स्थित है जिसके संबंध में उप पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर सिंचित भूमि की दिनांक 05.09.2018 की डीएलसी दर प्रति हैक्टेयर 17,29,800/– रूपये के अनुसार राशि की गणना की गई है। उक्तानुसार अवार्ड राशि का निर्धारण किया जाकर मुआवजा राशि मुताबिक अवार्ड आदेश सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हितबद्ध व्यक्ति के नाम भुगतान हेतु जमा करवाई गई। प्रार्थीगण का अवाप्त की गई उक्त भूमि का कम मुआवजा राशि दिये जाने की आपत्ति की गई है किन्तु प्रार्थीगण ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये, जिससे कम मुआवजा राशि का मूल्यांकन किया जाना प्रकट हो सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मनगढन्त निराधार तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार किया जाकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि की अवार्ड द्वारा निर्धारित की गई मुआवजा राशि को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे जाहिर आया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 पेश किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148 एन दिल्ली से बडौदरा निर्माण में ग्राम लबान, तहसील इन्द्रगढ में विस्थित प्रार्थी के स्वामित्व की अवाप्त की गई भूमि खसरा सं. 1259 रकबा 0.0665 हैक्टेयर, ख.सं. 1264 रकबा 1.2220 हैक्टेयर, ख.सं. 1258 रकबा 0.1334 हैक्टेयर, ख.सं. 1265 रकबा 0.3300 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण रकबा अवाप्त कर लिये जाने के बाद भी सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा नहीं किये जाने की आपत्ति प्रकट करते हुये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3–ए का नोटिफिकेशन दिनांक 05.09.2018 को जारी होने के पश्चात हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा धारा 3–सी के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3–डी के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 04.02.19 जारी होने पर अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों का मूल्यांकन, सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाखेरी द्वारा मुआवजा राशि निर्धारित की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3(जी)7(ए) के अनुसार अवाप्त सम्पत्ति का मुआवजा उद्घोषणा की तिथि पर डीएलसी दर के अनुसार देय होने के प्रावधान निहित है। उक्त अवाप्त की गई भूमि की नियमानुसार मुआवजा राशि तय की जाकर अवार्ड पारित किया गया है। अवार्ड आदेश की पालना में मुआवजा राशि भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करवा दी गयी है।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा उनकी भूमि का सम्पूर्ण रकबा अवाप्त किये जाने एवं उक्त रकबे की शेष भूमि का मुआवजा नहीं दिये जाने बाबत आपत्ति अंकित की गई है। अवार्ड के अनुसार ग्राम लबान के उक्त आराजी खसरा सं. 1259 रकबा 0.0665 हैक्टेयर, ख.सं. 1264 रकबा 1.2220 हैक्टेयर, ख.सं. 1258 रकबा 0.1334 हैक्टेयर एवं ख.सं. 1265 रकबा 0.3300 हैक्टेयर भूमि अवाप्त किया जाना प्रकट है। प्रार्थीगण द्वारा उनके खाते की सम्पूर्ण भूमि 2.67 हैक्टेयर का उपयोग कर लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य के संदर्भ में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार इन्द्रगढ से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 22.06.22 के अनुसार खातेदारान की भूमि में से पूर्व में 1.7519 हैक्टेयर भूमि अवाप्त हो चुकी है, 0.2141 हैक्टेयर भूमि पर अवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन है। इस प्रकार कुल 1.9960 हैक्टेयर भूमि अवाप्त होना तथा शेष भूमि 0.6340 हैक्टेयर पर कोई स्थाई निर्माण नहीं होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में खातेदारान की सम्पूर्ण भूमि अवाप्त कर लिये जाने की आपत्ति मौका रिपोर्ट के अनुसार निराधार पायी गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थना पत्र सारहीन पाया गया। ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति जिला अभिलेखागार में प्रविष्ट कराई जावे।

आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी